संख्या-08/2018/615/92-1-2018-56आरईएस/2005

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च, 2018

विषय:- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सृजित अधीक्षण अभियंता के 06 अस्थायी पदों की निरन्तरता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-1668/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/स्थाना0/2017-18, दिनांक 19-02-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजस्व मण्डलों-बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ, मिर्जापुर, चित्रकूट एवं अलीगढ में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता (वेतनमान रू0 37400-67000, ग्रेड पे रू0 8700) के 01-01 अस्थायी पद (अर्थात कुल 06 अस्थायी पदों) को सृजित किये जाने की स्वीकृति शासन के पत्र सं0-2987/92-2013-56आरईएस/2005, दिनांक 16-12-2013 द्वारा दिनांक 28-2-2014 तक के लिये प्रदान की गयी थी एवं पत्र सं0-27/2017/380/92-1-2017-56आरईएस/2005, दिनांक 23-3-2017 द्वारा उक्त 06 अस्थायी पदों की निरन्तरता दिनांक 28-2-2018 तक के लिये बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- विभाग द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यो के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत सृजित किये गये अधीक्षण अभियंता के उक्त 06 अस्थायी पदों को बनाये रखने की आवश्यकता एवं औचित्य के दृष्टिगत राजस्व मण्डलों- बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ, मिर्जापुर, चित्रकूट एवं अलीगढ हेतु सृजित अधीक्षण अभियंता (वेतनमान रू0 37400-67000, ग्रेड पे रू0 8700) के उक्त् 06 अस्थायी पदों की निरन्तरता शासनादेश सं0-2987/92-2013-56आरईएस/2005, दिनांक 16-12-2013 में उल्लिखित शर्त के अधीन, दिनांक 28-2-2019 तक के लिये बढाये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- प्रश्नगत अस्थायी पदों की निरन्तरता की क्रमागत स्वीकृति सम्बन्धी आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02-12-98 में प्राप्त प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-08/2018/615(1)/92-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।